केंद्रीय निदेशक बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक की 23 मई 2025 को मुंबई में आयोजित छह सौ सोलहवीं (616वीं) बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थित

गवर्नर

संजय मल्होत्रा: अध्यक्ष

उप गवर्नर

एम. राजेश्वर राव	टी. रबी शंकर
स्वामीनाथन जे.	पूनम गुप्ता

निदेशक

अजय सेठ	नागराजू मद्दिराला
सतीश के. मराठे	रेवती अय्यर
सचिन चतुर्वेदी	पंकज रमणभाई पटेल

रवीन्द्र एच. धोलकिया

उपस्थित आमंत्रित - कार्यपालक निदेशक

विवेक दीप	जयन्त कुमार दाश
रोहित जैन	राधा श्याम रथ
अजय कुमार	राजीव रंजन
नीरज निगम	पी. वासुदेवन
अर्णब कुमार चौधरी	चारूलता एस. कर
अविरल जैन	ए.आर. जोशी
इन्द्रनील भट्टाचार्य	सुधा बालकृष्णन

उपस्थित

वाई. जयकुमार, मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव

केंद्रीय निदेशक बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक की 23 मई 2025 को मुंबई में आयोजित छह सौ सोलहवीं (616वीं) बैठक का कार्यवृत्त

गवर्नर ने बोर्ड की बैठक में सभी सहभागियों का स्वागत किया। बोर्ड ने श्री सचिन चतुर्वेदी को नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में उनकी नियुक्ति पर बधाई दी और उनकी सफलता की कामना की।

2. तदुपरांत, बैठक की कार्यसूची पर चर्चा आरंभ की गई।

(i) बैठक की कार्यसूची अनुलग्नक - I में है।

(ii) बैठक के कार्रवाई बिंदु अनुलग्नक - II में हैं।

3. केंद्रीय बोर्ड की 15 मई 2025 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

3.1 केंद्रीय बोर्ड की 15 मई 2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित और अभिलिखित किया गया।

3.2 अध्यक्ष ने कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए।

4. निदेशकों को अनुपस्थिति की अनुमति

4.1 बोर्ड ने केंद्रीय बोर्ड के निदेशक श्री स्वामीनाथन गुरुमूर्ति, श्री आनंद गोपाल महिंद्रा और श्री वेणु श्रीनिवासन से प्राप्त अनुपस्थित रहने की अनुमति संबंधी अनुरोध पर विचार किया और उन्हें स्वीकृत किया।

[redacted]

[redacted]

7. एजेंसी कमीशन दरों की समीक्षा समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

7.1 बोर्ड ने एजेंसी कमीशन दरों की समीक्षा समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन पर मुख्य वित्तीय अधिकारी के 05 मई 2025 के ज्ञापन पर विचार किया। बोर्ड ने रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के लिए विभाग (डीजीबीए) और समूह की सराहना की। एक सरकारी निदेशक ने सुझाव दिया कि राज्य और केंद्र सरकार के मंत्रालय जनता की सुविधा बढ़ाने के लिए ई-रसीद और ई-भुगतान का अधिक लाभ उठा सकते हैं और रिज़र्व बैंक इस संबंध में आवश्यक सहायता प्रदान कर सकता है। उन्होंने बताया कि सभी हितधारकों को इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म पर शामिल करने से सरकारी खातों का मिलान आसान और तेज़ हो जाता है।

7.2 एक अन्य सरकारी निदेशक के सुझाव पर प्रतिक्रिया देते हुए, बोर्ड ने विभाग को एजेंसी कमीशन दरों की समीक्षा प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार करने के लिए कहा (वर्तमान में पाँच वर्ष में एक बार इसकी समीक्षा करने की परंपरा है) । बोर्ड ने विभाग को यह भी कहा कि वह बैंकों को एजेंसी कमीशन की प्रतिपूर्ति तिमाही प्रतिपूर्ति की वर्तमान प्रथा के बजाय अधिक बार (मासिक) करने की संभावना तलाशे।

7.3 बोर्ड ने भौतिक प्राप्तियों के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रस्तावित कमीशन की दरों पर विचार-विमर्श किया और प्रति लेनदेन ₹40 की मौजूदा दर (प्रस्तावित ₹35 प्रति लेनदेन के स्थान पर) को जारी रखने को कहा तथा निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया:

संकल्प पारित किया गया

कि वित्तीय वर्ष 2025-26 से भौतिक प्राप्तियों के लिए प्रति लेनदेन ₹40 की मौजूदा दर को बनाए रखते हुए एजेंसी कमीशन की संशोधित दरें लागू करना और मुख्य वित्तीय अधिकारी के 5 मई 2025 के ज्ञापन के क्रमशः पैरा 7, 8 और 10 में उल्लिखित एजेंसी कमीशन के लिए "पात्रता" मानदंड को युक्तिसंगत बनाने को अभिलिखित किया जाए और इसे इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

[redacted]

9. दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का वार्षिक लेखा और भारत सरकार को अधिशेष अंतरण

9.1 बोर्ड ने दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का वार्षिक लेखा और भारत सरकार को अधिशेष अंतरण से संबंधित उप गवर्नर के 22 मई 2025 के ज्ञापन पर विचार किया। समीक्षा के भाग के रूप में आर्थिक पूंजी ढांचे (ईसीएफ) में प्रस्तुत प्रस्तावों का उल्लेख करते हुए, निदेशकों ने बताया कि यह एक अत्यंत व्यापक और दूरदर्शी समीक्षा थी जो यह सुनिश्चित करती है कि मध्यम से दीर्घावधि में बैंक की तुलन पत्र में मज़बूती बनी रहे। गवर्नर ने इस संबंध में मार्गदर्शन और सहयोग के लिए बोर्ड को धन्यवाद दिया।

9.2 बोर्ड ने निम्नलिखित संकल्प पारित किया:

संकल्प पारित किया गया

कि वर्ष 2024-25 के लिए बैंक का वार्षिक लेखा को अनुमोदित किया जाए और इसे इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

यह भी संकल्प पारित किया गया

कि उप गवर्नर के 22 मई 2025 के ज्ञापन के पैरा 5 और 22(ii) में निहित प्रस्तावों को कि चारों निधियों अर्थात् बैंक द्वारा अनुरक्षित एनआईसी (एलटीओ) निधि एवं एनएचसी (एलटीओ) निधि, और नाबार्ड द्वारा अनुरक्षित एनआरसी (एलटीओ) निधि एवं एनआरसी (स्थिरीकरण) निधि, में प्रत्येक निधि में ₹1 करोड़ के अंशदान को अनुमोदित किया जाए और इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

यह भी संकल्प पारित किया गया

कि लेखा वर्ष 2024-25 के लिए आस्ति विकास निधि (एडीएफ) में कोई अंतरण नहीं किए जाने संबंधी पैरा 6.1 और 22(iv) के तहत प्रस्ताव को अभिलिखित एवं अनुमोदित किया जाए और इसे इसके द्वारा अभिलिखित एवं अनुमोदित किया जाता है।

यह भी संकल्प पारित किया गया

बाजार जोखिम बफर्स की आवश्यकता का आकलन तनाव की स्थिति में 97.5 प्रतिशत सीएल के साथ ईएस पर किया जा सकता है और सीआरबी को लेखा वर्ष 2024-25 के लिए तुलन पत्र के आकार के 7.50 प्रतिशत पर बनाए रखा जा सकता है। तदनुसार, आवश्यक जोखिम प्रावधान करने के बाद, ₹2,68,590.07 करोड़ की राशि केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में अंतरित कर दी जाएगी।

10. केंद्रीय कार्यालय विभागों / पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की गतिविधि रिपोर्टों को केंद्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना – समीक्षा

10.1 बोर्ड ने केंद्रीय कार्यालय विभागों / पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की गतिविधि रिपोर्टों को केंद्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना – समीक्षा पर कार्यपालक निदेशक के 07 मई 2025 के ज्ञापन पर विचार किया। निदेशकों ने प्रस्ताव की सराहना की तथा कहा कि इससे बोर्ड को बेहतर निगरानी करने में सुविधा होगी।

10.2 बोर्ड ने निम्नलिखित संकल्प पारित किया:

संकल्प पारित किया गया

कि कार्यपालक निदेशक के 7 मई 2025 के ज्ञापन के पैराग्राफ 9 में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाए और इसे इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

11. वर्ष 2024-25 (अप्रैल-मार्च) के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य पर वार्षिक रिपोर्ट का अंतिम प्रारूप और अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक की गतिविधियों और भविष्य की कार्ययोजना पर विभिन्न केंद्रीय कार्यालय विभागों द्वारा प्रस्तुति

11.1 बोर्ड ने वर्ष 2024-25 (अप्रैल-मार्च) के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य पर वार्षिक रिपोर्ट के अंतिम प्रारूप पर उप गवर्नर के 16 मई 2025 के ज्ञापन पर विचार किया।

11.2 बोर्ड ने निम्नलिखित संकल्प पारित किया:

संकल्प पारित किया गया

कि वर्ष 2024-25 (अप्रैल-मार्च) के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य पर वार्षिक रिपोर्ट के अंतिम प्रारूप पर उप गवर्नर के 16 मई 2025 के ज्ञापन को अनुमोदित किया जाए और इसे इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

11.3.1 **विनियमन विभाग** के कार्यपालक निदेशक द्वारा दिए गए प्रस्तुति पर बोर्ड ने विचार-विमर्श किया। विनियमों के प्रभाव आकलन पर निदेशक के सुझाव पर प्रतिक्रिया देते हुए, यह स्पष्ट किया गया कि ऐसा पहले से ही किया जा रहा है और इस संबंध में

विनियामक प्रभाव आकलन (आरआईए) के लिए सिद्धांतों और कार्यप्रणालियों के एक उपयुक्त ढाँचे की सिफारिश करने हेतु एक अंतर-विनियामक कार्य समूह का गठन किया गया है। बोर्ड को आरआरए 2.0 के परिणामों और रिटर्न एवं विनियमों को युक्तिसंगत बनाने के चल रहे प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी गई।

11.3.2 निदेशकों ने विनियमनों के निर्माण हेतु रूपरेखा पर नीति वक्तव्य जारी करने के लिए बैंक की सराहना की।

11.3.3 चर्चा के दौरान बोर्ड ने विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया, जैसे कि विनियमों का समेकन, विनियमों की आवधिक समीक्षा, विनियामक रिटर्न का युक्तिकरण, नागरिक चार्टर के संदर्भ में स्व-नियमन, नए बैंकों के लाइसेंस के लिए वर्तमान ढांचे की समीक्षा की आवश्यकता, आवास की बढ़ती मांग को देखते हुए विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अधिक एचएफसी की आवश्यकता, बैंकों के बोर्डों के समक्ष रखे जाने वाले मदों की संख्या का युक्तिकरण और मौजूदा केवाईसी ढांचे की समीक्षा।

11.3.4 प्रस्तुति को अभिलिखित किया गया।

11.4.1 **पर्यवेक्षण विभाग** के कार्यपालक निदेशक की प्रस्तुति पर बोर्ड द्वारा विचार-विमर्श किया गया।

11.4.2 बोर्ड को बताया गया कि संपूर्ण पर्यवेक्षी प्रक्रिया अब दक्ष प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रबंधित की जाती है, जिससे संसाधनों के इष्टतम उपयोग में मदद मिली है। एक निदेशक ने टिप्पणी की कि पिछले 4 से 5 वर्षों में पर्यवेक्षण में एक अच्छा संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है। निदेशक की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, यह स्पष्ट किया गया कि कैलिब्रेटेड पर्यवेक्षी दृष्टिकोण के तहत ऑनसाइट परीक्षा द्वारा कवर नहीं की गई संस्थाओं से उत्पन्न संभावित जोखिमों को दूर करने के लिए मौजूदा निरीक्षण योजना अभ्यास को और अधिक परिष्कृत किया जा रहा है।

11.4.3 प्रस्तुति को अभिलिखित किया गया।

11.5.1 **भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग** के कार्यपालक निदेशक की प्रस्तुति पर बोर्ड द्वारा विचार-विमर्श किया गया।

11.5.2 एक सरकारी निदेशक ने बोर्ड का ध्यान राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) से संबंधित मुद्दों और इन कार्डों की स्वीकृति और उपयोग को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता की ओर आकर्षित किया।

11.5.3 एक अन्य सरकारी निदेशक ने यूपीआई लाइट को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और कहा कि इससे बैंकिंग प्रणाली पर भार कम पड़ता है। उन्होंने उन पिछड़े हुए कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में ज़रूरत के हिसाब से जियोटैगिंग के ज़रिए डिजिटल भुगतान को और बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया। उनके विचार में, विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों को उन गंतव्यों पर उपलब्ध यूपीआई विकल्पों के बारे में जागरूक करने की भी आवश्यकता है।

11.5.4 प्रस्तुति को अभिलिखित किया गया।

11.6 **विदेशी मुद्रा विभाग** के कार्यपालक निदेशक की प्रस्तुति स्थगित कर दी गई।

11.7 **वित्तीय समावेशन और विकास विभाग** के कार्यपालक निदेशक की प्रस्तुति स्थगित कर दी गई।

11.8.1 **सूचना प्रौद्योगिकी विभाग** पर कार्यपालक निदेशक की प्रस्तुति पर बोर्ड द्वारा विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड ने भुवनेश्वर में ग्रीन फील्ड डेटा सेंटर और एंटरप्राइज़ कंप्यूटिंग एवं साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की प्रगति पर ध्यान दिया।

11.8.2 प्रस्तुति को अभिलिखित किया गया।

11.9.1 **मुद्रा प्रबंध विभाग** के कार्यपालक निदेशक की प्रस्तुति पर विचार-विमर्श किया गया।

11.9.2 प्रस्तुति को अभिलिखित किया गया।

11.10 **आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग** के कार्यपालक निदेशक की प्रस्तुति स्थगित कर दी गई।

12. दिनांक 16 मई 2025 को समाप्त सप्ताह का भारतीय रिज़र्व बैंक का साप्ताहिक कार्य विवरण

12.1 दिनांक 16 मई 2025 को समाप्त सप्ताह का बैंक का साप्ताहिक लेखा केंद्रीय बोर्ड को प्रस्तुत किया गया।

12.2 बोर्ड ने लेखा अनुमोदित किया।

13. साप्ताहिक वित्तीय एवं वाणिज्यिक रिपोर्ट (डबल्यूएफ़सीआर)

13.1 बोर्ड ने सप्ताह के दौरान वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थिति, भू-राजनीतिक घटनाक्रमों से उत्पन्न चुनौतियों और साप्ताहिक वित्तीय और वाणिज्यिक रिपोर्ट (डब्ल्यूएफसीआर) में दर्शाए गए आउटलूक के जोखिमों सहित वैश्विक वित्तीय बाजार की अस्थिरता की समीक्षा और चर्चा की। बोर्ड ने वैश्विक वस्तु व्यापार के रुझानों, घरेलू मुद्रास्फीति में कमी और उद्यमों द्वारा पूंजी जुटाने के लिए उपलब्ध अवसरों और उससे संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। एक निदेशक ने प्राथमिक सहकारी बैंकों के लिए पूंजी जुटाने के अवसरों पर मसौदा चर्चा पत्र प्रस्तुत करने के लिए बैंक की सराहना की।

13.2 रिपोर्ट को अभिलिखित किया गया।

14. केंद्रीय बोर्ड समिति की बैठकों के कार्य विवरण प्रस्तुत करना

14.1 निदेशकों के बीच पहले से परिचालित, केंद्रीय बोर्ड समिति की 12 मार्च 2025 और 30 अप्रैल 2025 के बीच आयोजित बैठकों के कार्य विवरण बोर्ड को प्रस्तुत किए गए और अभिलिखित किए गए।

15. दिनांक 10 फरवरी 2025 को संपन्न केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 189वीं बैठक का कार्यवृत्त

15.1 दिनांक 10 फरवरी 2025 को संपन्न केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 189वीं बैठक का कार्यवृत्त केंद्रीय बोर्ड को प्रस्तुत किया गया।

15.2 बोर्ड ने इसपर विचार किया और निम्नलिखित संकल्प पारित किया:

संकल्प पारित किया गया

कि दिनांक 10 फरवरी 2025 को संपन्न केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 189वीं बैठक के कार्यवृत्त को अभिलिखित किया जाए और इसे इसके द्वारा अभिलिखित किया जाता है।

16. केंद्रीय बोर्ड की आगामी बैठक की तारीख और स्थान – 22 अगस्त 2025 को लखनऊ में

संकल्प पारित किया गया

कि केंद्रीय बोर्ड की आगामी बैठक 22 अगस्त 2025 को लखनऊ में आयोजित की जाए।

17. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय

[redacted]

17.2 बोर्ड ने श्री अजय सेठ, सचिव डीईए द्वारा बोर्ड के विचार-विमर्श में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की, जो 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे थे, और अपनी अंतिम केंद्रीय बोर्ड की बैठक में भाग ले रहे थे। बोर्ड ने उनके लिए सफलता और प्रसन्नता की कामना की।

17.3 बोर्ड ने श्री जे.के. दाश, कार्यपालक निदेशक द्वारा बोर्ड के विचार-विमर्श में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान की भी सराहना की, जो 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे थे, और अपनी अंतिम केंद्रीय बोर्ड बैठक में भाग ले रहे थे। बोर्ड ने उनके लिए सफलता और प्रसन्नता की कामना की।

सूचना मद

(i) **परियोजना समुद्र- मुद्रा प्रबंधन अवसंरचना का आधुनिकीकरण**

(ए) बोर्ड ने परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और कहा कि इसे शीघ्र पूरा करने के लिए 'परियोजना मोड' पर लिया जा सकता है। सूचना मद को **अभिलिखित** किया गया।

दिनांक: 22 अगस्त 2025

अनुलग्नक I

केंद्रीय बोर्ड की 616वीं बैठक
शुक्रवार, 23 मई 2025 को मुंबई में
कार्यसूची

कार्यसूची सं.	कार्यसूची मद	विभाग
1.	केंद्रीय बोर्ड की 15 मई 2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर करना	सचिव
2.	निदेशकों को अनुपस्थिति की अनुमति	सचिव
[redacted]		
5.	एजेंसी कमीशन दरों की समीक्षा समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन	डीजीबीए
[redacted]		
7.	दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का वार्षिक लेखा और भारत सरकार को अधिशेष अंतरण	डीजीबीए
8.	केंद्रीय कार्यालय विभागों / पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की गतिविधि रिपोर्टों को केंद्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना – समीक्षा	सचिव

कार्यसूची सं.	कार्यसूची मद	विभाग
9.	वर्ष 2024-25 (अप्रैल-मार्च) के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य पर वार्षिक रिपोर्ट का अंतिम प्रारूप और अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक की गतिविधियों और भविष्य की कार्ययोजना पर विभिन्न केंद्रीय कार्यालय विभागों द्वारा प्रस्तुति i. डीओआर ii. डीओएस iii. डीपीएसएस iv. एफ़ईडी v. एफ़आईडीडी vi. डीआईटी vii. डीसीएम viii. आईडीएमडी	डीईपीआर डीओआर डीओएस डीपीएसएस एफ़ईडी एफ़आईडीडी डीआईटी डीसीएम आईडीएमडी
10.	दिनांक 16 मई 2025 को समाप्त सप्ताह का भारतीय रिज़र्व बैंक का साप्ताहिक कार्य विवरण	डीजीबीए
11.	साप्ताहिक वित्तीय एवं वाणिज्यिक रिपोर्ट (डबल्यूएफ़सीआर)	डीईपीआर
12.	केंद्रीय बोर्ड समिति की बैठकों के कार्य विवरण प्रस्तुत करना	सचिव
13.	दिनांक 10 फरवरी 2025 को संपन्न केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 189वीं बैठक का कार्यवृत्त	राजभाषा
14.	केंद्रीय बोर्ड की आगामी बैठक की तारीख और स्थान – 22 अगस्त 2025 को लखनऊ में	सचिव
15.	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय	सचिव
सूचना मद		
i.	परियोजना समुद्र- मुद्रा प्रबंधन अवसंरचना का आधुनिकीकरण	डीसीएम

अनुलग्नक – II

केंद्रीय बोर्ड की 616वीं बैठक, शुक्रवार, 23 मई 2025 को मुंबई में
कार्य बिंदु

कार्यसूची मंद 5 : एजेंसी कमीशन दरों की समीक्षा समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

1. रिजर्व बैंक राज्यों और केन्द्र सरकार के मंत्रालयों को आवश्यक सहायता प्रदान कर सकता है, ताकि सार्वजनिक सुविधा बढ़ाने के लिए ई-रसीदों और ई-भुगतानों का अधिक लाभ उठाया जा सके।

(कार्रवाई: आईडीएमडी और डीजीबीए; नोडल: डीजीबीए)

Minutes of the Six Hundred and Sixteenth (616th) Meeting of the Central Board of Directors of the Reserve Bank of India held on May 23, 2025 at Mumbai

PRESENT

Governor

Sanjay Malhotra: Chairman

Deputy Governors

M. Rajeshwar Rao | T. Rabi Sankar
Swaminathan J. | Poonam Gupta

Directors

Ajay Seth | Nagaraju Maddirala
Satish K. Marathe | Revathy Iyer
Sachin Chaturvedi | Pankaj Ramanbhai Patel
Ravindra H. Dholakia

Present by Invitation - Executive Directors

Vivek Deep	Jayant Kumar Dash
Rohit Jain	Radha Shyam Ratho
Ajay Kumar	Rajiv Ranjan
Neeraj Nigam	P. Vasudevan
Arnab Kumar Chowdhury	Charulatha S. Kar
Aviral Jain	A.R. Joshi
Indranil Bhattacharyya	Sudha Balakrishnan

In Attendance

Y. Jayakumar, CGM & Secretary

Minutes of the Six Hundred and Sixteenth (616th) Meeting of the Central Board of Directors of the Reserve Bank of India held on May 23, 2025 at Mumbai

Governor welcomed the participants to the meeting. The Board congratulated Shri Sachin Chaturvedi on his appointment as Vice Chancellor, Nalanda University and wished him success.

2. The Agenda for the meeting was taken up, thereafter.

(i) The agenda of the meeting is at Annex-I.

(ii) Action points that emerged from the meeting are at Annex-II.

3. Minutes of the meeting of the Central Board held on May 15, 2025

3.1 The minutes of the meeting of the Central Board held on May 15, 2025 were approved by the Central Board and recorded.

3.2 The Chairman signed the minutes.

4. Grant of leave of absence to Directors

4.1 The Board considered the request for leave of absence from Central Board Directors, Shri Swaminathan Gurumurthy, Shri Anand Gopal Mahindra and Shri Venu Srinivasan and granted the same.

[redacted]

[redacted]

7. **Implementation of Recommendations of the Committee to Review Agency Commission Rates**

7.1 The Board considered the Chief Financial Officer's Memorandum dated May 05, 2025 on Implementation of Recommendations of the Committee to Review Agency Commission Rates. The Board complimented the Department (DGBA) and the Group for the recommendations in the report. A Government Director suggested that e-receipts and e-payments may be leveraged more by the States and Central Government ministries to enhance public convenience and that the Reserve Bank may nudge and provide necessary handholding in this regard. He mentioned that

onboarding all the stakeholders on to the electronic platform also facilitates easier and quicker reconciliation of Government's accounts.

7.2 Responding to a suggestion by another Government Director, the Board advised the Department to review the agency commission rates once every three years (against the present practice of reviewing it once in five years). The Board also advised the Department to explore the possibility of reimbursing agency commission to banks more frequently (monthly) than the current practice of quarterly reimbursements.

7.3 The Board deliberated on the rates of commission proposed to be paid for physical receipts and advised to continue the existing rate of ₹ 40 per transaction (as against the proposed ₹ 35 per transaction) and passed the following resolution:

Resolved

that rolling out the revised rates of agency commission, while maintaining existing rate of ₹ 40 per transaction for physical receipts, with effect from FY 2025-26 and the rationalisation of "eligibility" criteria for agency commission as mentioned at para 7, 8 and 10, respectively, of the Chief Financial Officer's memorandum dated May 05, 2025 be and hereby taken on record and is hereby approved.

[redacted]

[redacted]

9. **Annual Accounts of the Reserve Bank of India and surplus transfer to Government of India for the year ended March 31, 2025**

9.1 The Board considered the Deputy Governor's Memorandum dated May 22, 2025, on Annual Accounts of the Reserve Bank of India and surplus transfer to Government of India for the year ended March 31, 2025. Referring to the proposals made in the Economic Capital Framework (ECF) as part of the review, Directors mentioned that it was a very comprehensive and forward-looking review which ensures that the Bank's Balance Sheet in the medium to long term continues to remain strong. Governor thanked the Board for their guidance and support in this regard.

9.2 The Board passed the following resolution:

Resolved

that the Annual Accounts of the Bank for the year 2024-25 be and are hereby approved

Resolved further

that the proposal contained in paragraphs 5 and 22 (iii) of the Deputy Governor's Memorandum dated May 22, 2025 for contribution of ₹1 crore to each of the four funds, namely, NIC (LTO) Fund and NHC (LTO) Fund maintained by the Bank, and NRC (LTO) Fund and NRC (Stabilisation) Fund maintained by the NABARD, be and is hereby approved.

Resolved further

that the proposal contained in paragraphs 6.1 and 22 (iv) of no transfer to be made to Asset Development Fund (ADF) for the accounting year 2024-25, be and is hereby approved.

Resolved further

the requirement of market risk buffers may be assessed at ES with 97.5 per cent CL under stress condition and the CRB may be maintained for the accounting year 2024-25 at 7.50 per cent of the size of the Balance Sheet. Accordingly, after making necessary risk provisions, an amount of ₹2,68,590.07 crore shall be transferred as surplus to the Central Government.

10. Placement of Activity Reports of Central Office Departments / Wholly Owned Subsidiaries before the Central Board – Review

10.1 The Board considered the Executive Director's Memorandum dated May 7, 2025, on Placement of Activity Reports of Central Office Departments / Wholly Owned Subsidiaries before the Central Board – Review. Directors complimented the proposal and mentioned that it will facilitate greater oversight by the Board.

10.2 The Board passed the following resolution:

Resolved

that the proposals contained in the paragraph 9 of the Executive Director's Memorandum dated May 7, 2025 be, and are hereby, approved.

11. Final draft of the Annual Report on the working of Reserve Bank of India for the year 2024-25 (April - March) and Presentation by various Central Office Departments on the activities from April 2024 to March 2025 and future action plan

11.1 The Board considered the Deputy Governor's Memorandum dated May 16, 2025, on Final draft of the Annual Report on the working of Reserve Bank of India for the year 2024-25 (April - March).

11.2 The Board passed the following resolution:

Resolved

that the Deputy Governor's Memorandum dated May 16, 2025, on Final draft of the Annual Report on the working of Reserve Bank of India for the year 2024-25 (April - March) be, and is hereby, approved.

11.3.1 Executive Director's presentation of **Department of Regulation** was deliberated by the Board. Responding to a Director's suggestion on impact assessment of regulations, it was clarified that that same was already being done and an inter-regulatory working group has been set up in this regard to recommend a suitable framework of principles and methodologies for Regulatory Impact Assessment (RIA). The Board was also briefed about the outcomes of RRA 2.0 and the ongoing efforts to rationalize the returns and regulations.

11.3.2 Directors commended the Bank for issuing a Policy Statement on Framework for formulation of regulations.

11.3.3 As part of the discussions, Board deliberated on various issues such as consolidation of regulations, periodic review of regulations, rationalization of regulatory returns, self-regulation in terms of Citizens' Charter, need for review of present framework for licensing of new banks, need for more HFCs, particularly in rural and semi urban areas given the increasing housing demand, rationalization of number of items being placed before the banks' boards and review of extant KYC framework.

11.3.4 The Presentation was taken on record.

11.4.1 Executive Director's presentation of **Department of Supervision** was deliberated by the Board.

11.4.2 The Board was briefed that the entire supervisory process is now managed through the DAKSH platform, which has helped in optimization of resources. A Director remarked that there has been a good structural transformation in supervision over the last 4 to 5 years. Responding to a Director's remark, it was clarified that the extant inspection planning

exercise is being further finetuned to address the possible risks emanating from entities not covered by onsite examination under the Calibrated Supervisory Approach.

11.4.3 The Presentation was taken on record.

11.5.1 Executive Director's presentation of **Department of Payment and Settlement Systems** was deliberated by the Board.

11.5.2 A Government Director brought the Board's attention to issues relating to National Common Mobility Card (NCMC) and the need to popularise the acceptance and use of these cards.

11.5.3 Another Government Director highlighted the need to popularise UPI lite, citing that it puts less load on the banking system. He also emphasized the need to further promote digital payments in some of the geographies which are lagging behind, by geotagging, if necessary. In his view, there was also a need to sensitise Indians traveling abroad about the UPI options available at those destinations.

11.5.4 The Presentation was taken on record.

11.6 Executive Director's presentation of **Foreign Exchange Department** was **deferred**.

11.7 Executive Director's presentation of **Financial Inclusion and Development Department** was **deferred**.

11.8.1 Executive Director's presentation of **Department of Information Technology** was deliberated by the Board. The Board noted the progress on the Green Field Data Centre and Enterprise Computing and Cybersecurity Training Institute at Bhubaneshwar.

11.8.2 The Presentation was taken on record.

11.9.1 Executive Director's presentation of **Department of Currency Management** was deliberated.

11.9.2 The Presentation was taken on record.

11.10 Executive Director's presentation of **Internal Debt Management Department** was **deferred**.

12. Weekly Statement of Affairs of Reserve Bank of India for the week ended May 16, 2025

12.1 The provisional weekly accounts of the Bank for the week ended May 16, 2025 were submitted to the Central Board.

12.2 The Board approved the accounts.

13. Weekly Financial and Commercial Report (WFCR)

13.1 The Board reviewed and discussed the global and domestic economic situation, the challenges posed by geopolitical developments and global financial market volatility including risks to the outlook as reflected in the Weekly Financial and Commercial Report (WFCR). The Board deliberated on the trends in global merchandise trade, easing of domestic inflation and avenues available for, and issues relating to, capital raising by enterprises. A Director commended the Bank for bringing out the draft discussion paper on capital raising avenues for Primary Co-operative Banks.

13.2 The Report was recorded.

14. Submission of Proceedings of the meetings of the Committee of Central Board

14.1 Proceedings of the meetings of the Committee of Central Board held between March 12, 2025 and April 30, 2025 already circulated among the Directors, were submitted to the Central Board and recorded.

15. Minutes of 189th Meeting of the Central Official Language Implementation Committee held on February 10, 2025

15.1 Minutes of 189th Meeting of the Central Official Language Implementation Committee held on February 10, 2025 were submitted to the Central Board.

15.2 The Board considered the same and passed the following resolution:

Resolved

that the Minutes of 189th Meeting of the Central Official Language Implementation Committee held on February 10, 2025 be and are hereby, recorded.

16. Date and place of next Meeting of the Central Board – August 22, 2025 at Lucknow

Resolved

that the next Central Board Meeting will be held on August 22, 2025 at Lucknow.

17. Any other business with the permission of the Chair

[redacted]

17.2 The Board appreciated the significant contributions made to the Board deliberations by Shri Ajay Seth, Secretary DEA, who was superannuating on June 30, 2025, and was attending his last Central Board Meeting. The Board wished him all success and happiness.

17.3 The Board also appreciated the significant contributions made to the Board deliberations by Shri J.K. Dash, Executive Director, who was superannuating on June 30, 2025, and was attending his last Central Board Meeting. The Board wished him all success and happiness.

Information Item

(i) Project Sa-Mudra- Modernisation of Currency Management Infrastructure

(a) The Board reviewed the progress of the project and suggested that the same may be taken up on 'project mode' for expeditious completion. The information item was **Recorded**.

Dated the August 22, 2025

Annex I

616th Central Board Meeting

Friday, May 23, 2025 at Mumbai

Agenda

Agenda No.	Agenda Item	Department
1.	Signing of Minutes of the meeting of the Central Board held on May 15, 2025	Secretary's
2.	Grant of leave of absence to Directors	Secretary's
[redacted]	[redacted]	[redacted]
5.	Implementation of Recommendations of the Committee to Review Agency Commission Rates	DGBA
[redacted]	[redacted]	[redacted]
7.	Annual Accounts of the Reserve Bank of India and surplus transfer to Government of India for the year ended March 31, 2025	DGBA
8.	Placement of Activity Reports of Central Office Departments / Wholly Owned Subsidiaries before the Central Board – Review	Secretary's

Agenda No.	Agenda Item	Department
9.	Final draft of the Annual Report on the working of Reserve Bank of India for the year 2024-25 (April - March) and Presentation by various Central Office Departments on the activities from April 2024 to March 2025 and future action plan: i. DoR ii. DoS iii. DPSS iv. FED v. FIDD vi. DIT vii. DCM viii. IDMD	DEPR DoR DoS DPSS FED FIDD DIT DCM IDMD
10.	Weekly Statement of Affairs of Reserve Bank of India for the week ended May 16, 2025	DGBA
11.	Weekly Financial and Commercial Report (WFCR)	DEPR
12.	Submission of Proceedings of the meetings of the Committee of Central Board	Secretary's
13.	Minutes of 189th Meeting of the Central Official Language Implementation Committee held on February 10, 2025	Rajbhasha
14.	Date and place of next Meeting of the Central Board – August 22, 2025 at Lucknow	Secretary's
15.	Any other business with the permission of the Chair	Secretary's
Information item		
i.	Project Sa-Mudra- Modernisation of Currency Management Infrastructure	DCM

Annex II

616th Central Board Meeting: Friday, May 23, 2025 at Mumbai

Action Point

Agenda Item no. 5: Implementation of Recommendations of the Committee to Review Agency Commission Rates

1. The Reserve Bank may nudge and provide necessary handholding to States and Central Government ministries so that e-receipts and e-payments may be leveraged more by them to enhance public convenience.

(Action: IDMD and DGBA; Nodal: DGBA)